



75 साल: भारत को आकार देने वाले कानून / नागरिकता अधिनियम, 1955

चर्चा में क्यों?

[नागरिकता अधिनियम, 1955](#) संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। मूल रूप से अधिनियम, 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता के लिये भी प्रावधान किया था। लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा नरिस्त कर दिया गया था।

भारत में नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- [संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5-11](#), नागरिकता से संबंधित है। हालाँकि इसमें इस संबंध में न तो कोई स्थायी और न ही कोई वसित्त प्रावधान है।
- यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में (यानी 26 जनवरी, 1950 को) भारत के नागरिक बन गए थे।
- यह इसके प्रारंभ होने के पश्चात् नागरिकता पाने या समाप्त होने की समस्या से संबंधित नहीं है।
- यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिये कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम (वर्ष 1955) अधिनियमित किया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है।

नागरिकता को कैसे परिभाषित किया जाता है?

- नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाती है।
- किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह, भारत में भी दो तरह के लोग हैं- नागरिक और वदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रतिनिष्ठितवान हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं।
- 'नागरिकता' बहिष्कार का एक विचार है क्योंकि इसमें गैर-नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है।
- **नागरिकता प्रदान करने के दो प्रसिद्ध सिद्धांत हैं:**
 - जहाँ 'jus soli' जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, वहीं 'jus sanguinis' रक्त संबंधों को मान्यता देता है।
 - मोतीलाल नेहरू समिति (वर्ष 1928) के समय से ही भारतीय नेतृत्व 'jus soli' की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था।
 - 'jus sanguinis' के नस्लीय विचार को भी संविधान सभा ने खारज कर दिया था क्योंकि यह भारतीय लोकाचार के खिलाफ था।

यह नागरिकता अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया?

- भारत में नागरिकता का अधिकार इसकी स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया, स्वतंत्रता पूर्व युग में ब्रिटिश नागरिकता और वर्ष 1914 का वदेशी अधिकार अधिनियम था, जिसे वर्ष 1948 में नरिस्त कर दिया गया था।
- ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत भारतीयों को नागरिकता के बनिा अस्थायी रूप से ब्रिटिश वषियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नई सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई।
- लोग अपनी पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरिकता हासिल करने के लिये स्वतंत्र हुए।
- इस संदर्भ में संविधान सभा ने इन प्रवासियों की नागरिकता के निर्धारण के तात्कालिक उद्देश्य को संबोधित करने के लिये संविधान के नागरिकता प्रावधानों के दायरे को सीमित कर दिया।
- बाद में वर्ष 1955 में संसद द्वारा अधिनियमित नागरिकता अधिनियम ने नागरिकता की आवश्यकताओं और पात्रता के लिये विशिष्ट प्रावधान किये।

भारतीय नागरिकता का प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं?

- वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम [नागरिकता प्राप्त करने के](#) पाँच तरीकों को निर्धारित करता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और कषेत्त का समावेश।

जन्म से:

- 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता-पिता की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
- 1 जुलाई, 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाता है, जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- इसके अलावा 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है, जब उनके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या जिनके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी न हो।
- भारत में तैनात वदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन एलियंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं।

पंजीकरण द्वारा:

- केंद्र सरकार, एक आवेदन पर, भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति (अवैध प्रवासी नहीं होने पर) को पंजीकृत कर सकती है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित है:
 - भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से नविसी है;
 - भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अवभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से नविसी है;
 - एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से नविसी है;
 - व्यक्तियों के नाबालग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं;
 - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं;
 - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति, जो या उसके माता-पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से ठीक पहले बारह महीने से भारत में सामान्य रूप से नविसी है;
 - पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो पाँच साल के लिये भारत के कार्डधारक के एक वदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, और जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले बारह महीने के लिये भारत में सामान्य रूप से नविसी है।
 - एक व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई एक अवभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया।
 - भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को नषिठा की शपथ लेनी होगी।

वंश द्वारा:

- 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर, 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है, यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे।
- 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- अगर भारत के बाहर या 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है। जन्म की।

प्राकृतिककरण द्वारा:

- एक व्यक्ति प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 12 साल (आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल) के लिये भारत का नविसी है और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है।

प्रादेशिक नगिमन द्वारा:

- यदि कोई वदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को नरिदष्टि करती है जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं।
- अधिनियम दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रियता प्रदान नहीं करता है। यह केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिये नागरिकता की अनुमत देता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय नगिमन द्वारा।
- इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में चार बार संशोधन किया गया है।
- इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को संकुचित कर दिया है।
- इसके अलावा 'वदेशी अधिनियम' व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डालता है कि वह वदेशी नहीं है।

महत्त्वपूर्ण संशोधन

- **वर्ष 1986 का संशोधन:** संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत, जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को 'jus soli' के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की, वर्ष 1986 का संशोधन कम समावेशी था क्योंकि इसके धरा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे वही भारतीय नागरिक होंगे।
 - 1 जुलाई, 1987 के बाद और 4 दिसंबर, 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मलि सकती है जब जन्म के समय उनके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।

